ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 148-150**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

भारत में अल्पसंख्यक अधिकार

डॉ० नसरीन सबा
एम०ए०, पी–एच०डी० – समाजशास्त्र, मुहल्ला–मुरारपुर, पो०–कोतवाली, गया (बिहार) भारत

Received-29.04.2025, Revised-07.05.2025, Accepted-13.05.2025 E-mail : nasreensaba11@gmail.com

सारांशः अल्पसंख्यक कौन हैं– भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं वहीं पर कुछ धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं अर्थात् जिनकी संख्या कम है जैसे– मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी आदि। संख्या के आधार पर भारत में कम होने के कारण हिंदुओं द्वारा इन पर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। अल्पसंख्यक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय किसी राज्य की जनसंख्या का एक छोटा समूह है, जिनका जाति, धर्म या भाषा के आधार पर चरित्र राज्य की शेष जनसंख्या से अलग होता है और यह अपनी संस्कृति, परंपरा, धर्म एवं भाषा को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इमतयाज अहमद के अनुसार अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर ही भिन्न नहीं हैं, बल्कि ये अपने सामाजिक रूप से भी अलग हैं। इनको सामाजिक लाभ से वंचित होना पड़ता है।

इमतयाज अहमद के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत गैर हिंदू धार्मिक समुदाय, अनुसूचित जाति व जनजाति, रिफ्यूजी व अप्रवासी, जिनकी भाषा संविधान की आठवीं सूची में वर्णित नहीं है, तथा जिनको आठवीं सूची में वर्णित किया गया है लेकिन उनको शिक्षा, प्रशासन की सुविधा प्राप्त नहीं है।[1]

कुंजीभूत शब्द– अल्पसंख्यक अधिकार, हिंदू बहुसंख्यक, समुदाय, हिंदू धार्मिक समुदाय, अनुसूचित जाति, जनजाति, रिफ्यूजी

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य घोषित किया गया है, इसका अर्थ यह है कि राज्य भारत में पंथनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार करता है, जिसके अंतर्गत राज्य की दृष्टि से सभी पंथ समान है, सभी धर्मग्रंथों व धार्मिक विचारों के विकास व प्रचार के लिए राज्य समान रूप से प्रयास करेगा। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15– धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी एवं असंवैधानिक घोषित करता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए धार्मिक व अन्य दृष्टि से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 25– प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 26 – धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक प्रयोजन हेतु शिक्षण, उपासना और विकास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27– किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे स्वतंत्रता प्रदान करता है एवं राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30–धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 325– धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए अयोग्य नहीं मानता है।[2]

इस प्रकार भाषा, लिपि तथा संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' की स्थापना 1978 में की गई, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया था। संविधान सभा द्वारा अल्पसंख्यकों को लेकर बनाई गई अधीनस्थ समिति ने अल्पसंख्यकों को तीन वर्गों में विभाजित किया था। (क) ऐसा समुदाय जिनकी जनसंख्या भारत में 0.5 प्रतिशत से कम थी जैसे प्रिंसली राज्यों, एंग्लो–इंडियन, पारसी, असम के कबीले इत्यादि। (ख) ऐसे समुदाय जिनकी संख्या 1.5 प्रतिशत से अधिक न हो जैसे ईसाई एवं सिख। (ग) ऐसे समुदाय जिनकी जनसंख्या 1.5 प्रतिशत से अधिक थी जैसे मुस्लिम एवं अनुसूचित जाति के लोग।[3]

भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साक्ष्य पत्र संख्या – 18 में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए तीन मापदंडों का उल्लेख किया गया है, जैसे, (1) संख्या, (2) प्रभुत्व का अभाव, (3) नस्लीय, धार्मिक और भाषागत स्थिर विशेषता। जो राज्य में बहुसंख्यक नहीं हैं परंतु अल्पसंख्यक किसे माना जाना चाहिए इस वाद–विवाद के विषय को छोड़ दिया गया था। एक व्यावहारिक समस्या यह भी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा समुदाय हिंदुओं का था, लेकिन कुछ राज्यों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और कुछ उत्तर–पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मणिपुर एवं मेघालय में हिंदू अल्पसंख्यक जाने जाते हैं। पारंपरिक रूप से अल्पसंख्यकों की निम्नलिखित मांगें रही हैं:

(1) अल्पसंख्यकों की जो सबसे बड़ी मांग रही है वह यह है कि वे अपने लिए पृथक देश चाहते हैं, उदाहरण स्वतंत्रता से पूर्व मुस्लिम समुदाय द्वारा पाकिस्तान की मांग करना और सिख समुदाय द्वारा खालिस्तान की मांग । (2) उपरोक्त मांग के अतिरिक्त देश को तोड़ने व बांटने वाली मांगें भी रही हैं, जैसे कि किसी प्रांतिक भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराना। (3) सुरक्षा का विषय अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। इसी कारण यह भी उनकी प्रमुख मांगों में से एक है। इसका उदाहरण हम मुख्यतरू मुस्लिम समुदाय से ले सकते हैं जो बाबरी मस्जिद एवं 2002 में हुए गुजरात दंगों की अमानवीय घटनाओं को लेकर स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। (4) भारतीय मुस्लिम समुदाय के द्वारा संवैधानिक सुरक्षा की मांग हमेशा की जाती है क्योंकि संवैधानिक सुरक्षा की गारंटी उस रूप में नहीं है जैसे कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए है और इनके लिए रोजगार एवं शिक्षा के अंतर्गत आरक्षण की भी व्यवस्था नहीं है। (5) अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य विशेष रूप से मुसलमानों में इस बात का मानसिक दबाव रहता है कि वे स्वयं इस बात को साबित करे कि वे राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं। हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक ताकतों ने अल्पसंख्यकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को गहरा आघात पहुंचाया है।[4]

भारत में मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक अधिकार रू भारत में मुस्लिम जनसंख्या 120 मिलियन है जो कि विश्व में इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर है। भारतीय राजनीति में अल्पसंख्यकों के नाम पर सर्वाधिक प्रभाव मुसलमानों ने और उसके बाद सिखों ने डाला है। भारतीय मुसलमान उर्दू भाषा को विशेष दर्जा व मुस्लिम पर्सनल लॉ को यथावत् बने रहने देने के पक्ष में हैं। वे मुसलमानों को शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं दिए जाने की मांग करते रहते हैं। मुसलमान समुदाय की मांगों को उठाने के लिए कुछ राजनीतिक संगठन भी हैं– मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस आदि। इसके अतिरिक्त अन्य गैर–राजनीतिक संगठन

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

जैसे जमायते इस्लामी, इस्लामिक सेवक संघ, आदि भी हैं। भारत में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय धार्मिक आधार पर समुदाय हैं, वे कोई समान जाति समूह नहीं हैं। ये भाषा, सजातीयता, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर आधारित हैं। भारत में सबसे ज्यादा सुन्नी मुसलमान हैं और सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय कश्मीर में है उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत में उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान बनते समय भारत में रह रहे मुसलमानों को भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी कहकर उनकी विचारधारा को प्रभावित किया जाता था जो कि भारत में हिंदू–मुस्लिम संबंधों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले विचार थे। 1970 में मुसलमान अपने स्थान को बनाने में प्रयासरत हुए, लेकिन 1975–77 के आपातकाल के समय इनको शरण दी गई और उत्तर भारत में इनके लिए अल्पसंख्यक अधिकार की मांग की गई जोकि भारत में इनके लिए नवीन आंदोलन था।[5]

यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया एक ऐतिहासिक निर्णय था किंतु इसने पूरे राष्ट्र को उद्वेलित कर दिया। शाहबानो ने 1985 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। शाहबानो ने इसमें निवेदन किया कि उसे उसके ससुराल से 1975 में निकाल दिया गया है। 1978 में उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के श्तीन तलाकश प्रक्रिया द्वारा तलाक दे दिया है। अतः वह अपने पति से 500 रु. प्रतिमाह की दर से गुजारा भत्ता चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया तथा मुख्य न्यायधीश चंद्रचूड़ ने उल्लेख किया कि विभिन्न धर्मों में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को देखते हुए सरकार को चाहिए कि समान नागरिक संहिता का निर्माण करे। भारत में मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती शाहबानो केस (1985) के रूप में आई, जिसमें समान नागरिक संहिता की मांग की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा शाहबानो केस के निर्णय का व्यापक विरोध किया गया था। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इस निर्णय के विरोध में यह तर्क दिया कि मुस्लिम महिला को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता मुस्लिम धर्म का निजी मामला है। इस विरोध के चलते दबाव में उस समय की राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला निवारक बिल 1986 को पास कर दिया। मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों एवं खुले विचारों के व्यक्तियों का मानना था कि सरकार द्वारा उलेमाओं एवं कट्टरपंथियों को उनका वास्तविक प्रतिनिधि मानकर उनकी अनुचित एवं मुस्लिम विकास विरोधी बात को स्वीकार करने से उनके समाज व उनके वास्तविक विकास को अवरुद्ध किया है। कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि सांप्रदायिकता की मूल जड़ हमेशा से ही सांस्कृतिक न होकर सामाजिक व आर्थिक रही है। इस निर्णय की मुस्लिम धार्मिक नेताओं द्वारा तीखी आलोचना की गई। इस समय शाहबानो का मुकद्दमा बाबरी मस्जिद के मुद्दे के साथ जुड़ गया एवं मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ रही हिंदू सांप्रदायिक ताकतों से डर कर बुरी तरह से बौखलाए हुए थे। उनका डर उस समय और मजबूत हो गया जब नवंबर 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए। 1986 में मुस्लिम लीग के नेता एवं सांसद जी. एम. बानतवाला के सुझाव के अनुरूप मुस्लिम महिला विधेयक प्रस्तुत किया था।[6]

इसके बाद बाबरी मस्जिद को अयोध्या में 1992 में तोड़ा जाना भी भारत में सांप्रदायिक मतभेद को बढ़ाने वाला था। इसके अलावा 1980 में कश्मीर की स्वतंत्रता का आंदोलन भी भारत में रह रहे गैर– कश्मीरी मुस्लिम को प्रभावित करने वाला था। भारत में 1977 के समय जनता सरकार आई तभी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। इस समुदाय को कोई भी परिवर्तन करने की शक्ति नहीं दी गई। इनके लिए केंद्र व राज्य स्तर पर विधायिका में भी कोई स्थान आरक्षित नहीं किया गया। फिर भी संसद में मुस्लिम प्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर आए हैं और राज्य में काफी संख्या में मुस्लिम मुख्यमंत्री और दो राष्ट्रपति भारत में निर्वाचित हुए हैं। हिंदू–मुस्लिम में मुख्य अंतर धर्म, संस्कृति और सामाजिक आधार पर है। सबसे बड़ा मुद्दा इनकी समानता को लेकर है। जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा प्रमुख है। भारत में कुछ राजनीतिक दल जैसे शिव सेना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इनको भारतीय संस्कृति से अलग मानते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम कट्टर इस्लामी हैं। वह अपना अलग से जीवन जीना चाहते हैं।

भारतीय मुसलमान विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सूचकांक के मामले में एक सीमांत समुदाय के हैं, जिनको राज्य द्वारा स्वीकार किया गया है। मुस्लिम समुदाय की समस्याओं– विशेष रूप से उनके अधिकारों और उनके सशक्तीकरण के संवर्धन और संरक्षण के लिए धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील समूहों की जरूरत है। मुस्लिम अधिकारों और सरोकारों को जोड़ने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन, नागरिक समाज समूह या स्वैच्छिक संगठन हैं जो कि मानव अधिकार समूह में शामिल हैं, वह पैसों के लिए नहीं बल्कि लोगों के आंदोलनों में राजनीतिक व्यवहार की जगह उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयासरत हैं। जो कि राज्य प्रायोजित नरसंहार में पीड़ित मुसलमानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं और कश्मीर में भूकंप प्रभावित हिस्सों में सहायता प्रदान करने में तत्पर है।[7]

भारत में मुस्लिम समुदाय से संबंधित कार्यक्रम– अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम (16 फरवरी 2006) रू राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा यू.पी.ए.(संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार के अल्पसंख्यकों के सामाजिक विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के द्वारा गरीबों की भलाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मदरसों का विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कानून, सेवा और सरकारी विभागों से मुसलमानों की संख्या का पता लगाया जाएगा।

प्रांतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक (2 नवंबर 2006) के दौरान प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि भारत में अल्पसंख्यक आयोग को और अधिक अधिकार दिए जाएंगे। इनमें सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव के मामलों की जांच करने का अधिकार शामिल होगा। फरवरी 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी विभागों में मुसलमानों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया, जिसमें सेना भी शामिल है लेकिन इस पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ था क्योंकि सेना में धर्म के आधार पर सर्वेक्षण का विरोध किया गया कि इससे सेना के स्वरूप पर विपरीत असर पड़ेगा।[8]

सच्चर कमेटी रिपोर्ट– भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2006 को प्रधानमंत्री को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश में मुसलमानों की सामाजिक शिक्षा की स्थिति अन्य पिछड़े जातीय समुदायों की तुलना में काफी खराब है। समिति ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2005 में न्यायधीश राजिंदर सच्चर के नेतृत्व में यह समिति बनाई थी। इस समिति की रिपोर्ट से देश के सामाजिक, आर्थिक ढांचे के अलावा राजनीति पर भी गहरे व दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। देश में मुसलमान समुदाय आर्थिक, समाजिक व शिक्षा के क्षेत्र में

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

अन्य समुदायों से पिछड़ा है। इस समुदाय के पास शिक्षा के अवसरों की कमी है। सरकारी और निजी उद्योगों में भी आबादी के अनुसार इनका प्रतिशत काफी कम है।

मुस्लिम समुदाय की आबादी से संबंधित आंकड़े (सच्चर समिति): भारत में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 15.4 प्रतिशत है। उच्च व सरकारी पदों पर 6 प्रतिशत मुस्लिम हैं। 14 राज्यों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 4790 अधिकारी हैं जिसमें से 108 यॉनि 2.2 प्रतिशत मुस्लिम हैं। भारतीय पुलिस सेवा में 3209 में से 109 मुस्लिम हैं। विभिन्न राज्यों में मुस्लिम कैदियों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत है।

सच्चर समिति रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्या से आंख चुराने की बजाय इसकी पेचीदगी और आयाम को समझना जरूरी है। ताकि इसका हल निकाला जा सके। यह जानकारी पिछड़े समुदायों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने के लिए महत्त्वपूर्ण साबित होगी। यू. पी. ए. (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार के मंत्रियों ने सबसे पहले मुसलमानों के आरक्षण की मांग की थी और भाजपा नेता अरुण जेटली ने मुसलमानों की स्थिति में सुधार की बात की लेकिन सरकार को चेतावनी दी थी कि वो इसमें वोट बैंक की राजनीति न करें।[9]

मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता हैरू 1. गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार समूहों को राज्य पर दबाव बनाना चाहिए कि वह मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के लिए नीतियां व कार्यक्रम घोषित करें। 2. इन संगठनों द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एजेंडा बनाना चाहिए जिसमें मुस्लिम समाज के आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण को शामिल किया जाए। 3. गैर–सरकारी संगठनों द्वारा मुस्लिम समुदाय से धर्म–निरपेक्ष और प्रगतिशील विचार के लिए बातचीत की जानी चाहिए जिससे हिंदू–मुस्लिम एक–दूसरे से कुछ नवीन विचारों को प्रकट कर सकें। 4. मुस्लिम समुदाय को धार्मिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रलोभन दिया जाता है कि उनके वर्ग को लाभ पहुंचाया जाएगा। जो मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनको विशाल मुस्लिम बहुमत की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने का वादा भी करना चाहिए। 5. मुसलमान महिलाओं और ज्यादा आंतरिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं को मुस्लिम संगठनों द्वारा हल करने का प्रयास जरूरी है। 6. मुस्लिम संगठनों द्वारा अपने समुदाय के लिए व्यवस्थित अनुसंधान प्रलेखन और प्रकाशन की जरूरत है जिससे वह सामाजिक वास्तविकताओं से अवगत हो सकें। 7. प्रभावी मुस्लिम संगठनों द्वारा अपनी पैरवी के लिए प्रभावशाली नीतियों को मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए जिसमें राजनीतिक दल और राज्य दोनों ही कार्यरत हों।

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रयास: अप्रैल 2005 में पाकिस्तान के सैन्य नेता परवेज़ मुशर्रफ की भारत यात्रा के साथ ही शांति प्रयास की पहल की गई। अप्रैल 2005 में एक बस सेवा प्रारंभ की गई जिससे कश्मीर के दोनों हिस्सों को जोड़ा गया। जून 2005 में ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा कश्मीर नेताओं से बातचीत की गई थी व 5 सितंबर 2005 में दिल्ली में सभी दलों के नेताओं द्वारा अलगाववादी हुरियत कांफ्रेंस से शांति पूर्ण समाधान के लिए बातचीत की गई थी। गुजरात में दंगों के समय मुसलमानों को उत्पीड़न और नरसंहार का सामना करना पड़ा। उसकी सरकार द्वारा निंदा करना शामिल है और गोधरा में दंगों में शामिल आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए। जुलाई 2005 को छह विस्फोट अयोध्या दीवार के पास हुए। जिसमें सभी हमलावर मारे गए थे। इस कार्यवाही के लिए पाकिस्तान को दोषी करार दिया गया था। अप्रैल 2009 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश प्रसारित किया कि छह विशेष अदालतों की स्थापना की जाए जो कि, गुजरात में धार्मिक दंगों की जांच करेगी।[10]

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Shashi Motilal & Bijaya Laxmi Nanda, Human Right Gender & Environment, pp-119-120.
2. Durga Das Basu, Introduction to the Consitution of India, New Delhi: Prentice Hall, 1988.
3. Zoya Hasan, Politics of Inclusion Caste, Minority and Representation in India 2008, Oxford University Press.
4. तपन बिसवाल, मानवाधिकार जेंडर एवं पर्यावरण, वीवा बुक्स, 2008, पृ०157-, .314
5. World Dictionary of Minority, December, 2008.
6. तपन बिसवाल, मानवाधिकार जेंडर एवं पर्यावरण, वीवा बुक्स, 2008, पृ०–157, 314.
7. Praful Bidwai, Harbans Mukhia and Achin Vinayak (eds.) Religion, Religiosity and Communism, Delhi: Monohar.
8. World Dictionary of Ministry, December, 2008.
9. Sachar Committee report, Government of India, 2006.
10. World Dictionary of Ministry, December, 2008.

*****